(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-I, खण्ड-I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

सार्वजनिक सूचना सं0 30 (आर.ई.- 2012)/2009-2014

नई दिल्ली, दिनांक : 16 नवम्बर, 2012

विषयः- **भारत-म्यांमार सीमा व्यापार** ।

विदेश व्यापार नीति 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सार्वजनिक सूचना सं0 289(पीएन)92-97,दिनांक 10 अप्रैल, 1995 और सार्वजनिक सूचना सं0 106 (आर ई-2008)/2004-2009, दिनांक 07 नवम्बर, 2008 के अधिक्रमण में महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा भारत-म्यांमार सीमा व्यापार को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रबंध करते हैंः-

2. विदेश व्यापार नीति में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसरण में, मौजूदा प्रचलित क्रियाकलापों के अनुसार, भारत-म्यांमार सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों के द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं/मदों का आयात/निर्यात अनुमत किया जाता है -

I. सार्वजनिक सूचना सं0 289(पीएन)92-97,दिनांक 10 अप्रैल, 1995 के द्वारा 22 वस्तुएं/मदें अधिसूचित की गई थी :-

1. बांस, 2. सुपारी और पत्तियाँ, 3. मिर्च, 4. धनिया बीज, 5. स्थानीय उपभोग के लिए खाद्य वस्तुएं, 6. ताजी सब्जियाँ, 7. फल, 8. लहसुन, 9. अदरक, 10. कत्था, 11. लघु वन्य उत्पाद (सागौन को छोड़कर), 12. सरसों/तोरी का बीज, 13. प्याज, 14. दालें और सेम, 15. सरकण्डों की झाड़ू, 16. राल, 17. सूरजमुखी के भुने हुए बीज, 18. तिल, 19. सोयाबीन, 20. मसाले (नट मग, जावित्री, लौंग, तेजपत्ता और दालचीनी को छोड़कर) 21. तम्बाकू, 22. टमाटर ।

II. सार्वजनिक सूचना सं0 106 (आर ई-2008)/2004-2009, दिनांक 07 नवम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित 18 वस्तुएँ/मदें :

1. अगरबत्ती, 2. साइकिल के अतिरिक्त हिस्से पुर्जे, 3. ब्लेड, 4. बल्ब, 5. सौंदर्य प्रसाधन, 6. सूती वस्त्र, 7. उर्वरक, 8. बनावटी आभूषण, 9. कीटनाशक, 10. चमड़े के फुटवियर, 11. जीवन रक्षक दवाएँ, 12. मेंथाल, 13. मास्क्विटो कॉयल, 14. पेंट और वार्निस, 15. मसाले, 16. स्टेनलेस स्टील के बर्तन, 17. चीनी और नमक, 18. एक्स-रे पेपर और फोटो पेपर

III. इसके अलावा, इस सार्वजनिक सूचना के द्वारा निम्नलिखित 22 नई वस्तुओं/मदों को शामिल किया गया हैः-

1. कृषि मशीनरी/उपस्कर/औजार, 2. दुपहिया साइकिल, 3. ब्लीचिंग पाउडर, 4. कोयला, 5. खाद्य तेल, 6. विद्युत एवं वैद्युत उपकरण 7. विनिर्मित इस्पात उत्पाद 8. वस्त्र/सिले-सिलाए वस्त्र/कपड़े,

9. हथकरघा और हस्तशिल्प मदें, 10. हार्डवेयर/लघु विनिर्माण सामग्रियाँ और विद्युत फिटिंग्स, 11. चूना 12. दवाइयाँ 13. दुग्ध पाउडर, चाय, खाद्य तेल,पेय, 14. मोटर साइकिलें और मोटर साइकिल के अतिरिक्त हिस्से पुर्जे, 15. अन्य मदें जैसे इलेक्ट्रानिक/वाद्य यंत्र, स्टेशनरी मदें, टार्च लाइट, 16. प्लास्टिक मदें; पानी की टंकी, बाल्टियाँ, कुर्सियाँ, प्लास्टिक पाइप और बीफ्रकेस, 17. चावल,गेहूँ, मक्का, बाजरा और जई, 18. सुगंधित तम्बाकू 19. अर्द्ध-कीमती रत्न, 20. सिलाई मशीनें, 21. वस्त्र फैब्रिक्स, 22. 100 सीसी से कम क्षमता के तिपहिए वाहन/कारें,

3. **<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव</u> :**

i. भारत-म्यांमार सीमा व्यापार के तहत वस्तुओं/मदों के आयात/निर्यात हेतु मौजूदा व्यवस्था को संशोधित किया गया है; और

ii. मौजूदा 40 व्यापार योग्य मदों की सूची में 22 नई वस्तुओं/मदों को शामिल किया गया है और कुल 62 वस्तुएँ/मदें समेकित की गई है ।

(अनुप के. पूजारी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेलः dgft@nic.in

(फा0सं0.01/89/180/विविध 49/एएम 04/पीसी-1(ए).खण्ड III से जारी)